यूको बैंक एवं अन्य

बनाम

सुशील कुमार साहा

(सिविल अपील नम्बर 7515/2012)

अक्टूबर 15,2012

[के0 एस 0 राधाकृष्णन व दीपक मिश्रा, न्यायाधीश]

सेवा कानूनः

अनुशासनात्मक कार्यवाही- अनुशासनिक प्राधिकारी- बैंक अधिकारी, जो हैड ऑफिस स्थानांतरित किया गया उसके द्वारा अपने पिछले पदस्थापन के दौरान विभिन्न अनियमिततायें कारित करने का कथन है- पूर्ववर्ती पदस्थापन स्थान के अनुशासनात्मक अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करना प्रारम्भ किया- निर्धारितः सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक अधिकारी विधिवत रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सशक्त था- न्यायालय से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे मामले जो अनुशासनात्मक कार्यवाही को तेजी लाने के लिए हों, में बैंक के विवेक पर अपना निर्णय थोपे। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सेवा समाप्ति के दण्ड की कार्यवाही को रद्द करने में त्रुटी की है- आक्षेपित आदेश

अपास्त किया- यूको बैंक (अनुशासन व अपील) रेगुलेशन 1976- रेगुलेशन 5 -नोट दिनांकित 03.08.2004- सरकुलर दिनांकित 11.08.2004

प्रत्यर्थी पर स्केल एमएमजीएस-III में वरिष्ठ प्रबंधक के तौर पर यूको बैंक की ब्रांच में दिनांक 15.10.2001 से 23.08.2005, के बीच कार्य करते हुए यह कथित था कि उसने विभिन्न पक्षों को अपनी शक्तियों से परे जाकर एवं नियंत्रण कार्यालय की मंजूरी के बिना ऋण स्वीकृत करने में और पक्षपाती रूप से निकासी व ओवरडाईंग सुविधा देने में गंभीर अनियमिततायें कारित कीं। इसका बाद में तब पता चला जब वह अगस्त 2005 में बैंक के हैड ऑफिस में वरिष्ठ मुख्य अधिकारी के तौर पर स्थानांतरण पर पदस्थापित हुआ। बैंक द्वारा एजीएम(अनुशासनिक अधिकारी) के माध्यम से प्रत्यर्थी को आरोप पत्र दिया। अन्ततः एजीएम द्वारा आरोप साबित पाये और सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया। प्रत्यर्थी के द्वारा की गई विभागीय अपील और रिट पीटिशन खारिज हो गई थी। यद्यपि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपील यह निर्धारित करते हुए स्वीकार की, कि एजीएम को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, और उसकी सेवा में पुनः बहाली की गई।

इस अपील में जो कि बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है, न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय था कि क्या पूर्ववर्ती पदस्थापन स्थान के अनुशासनात्मक अधिकारी, जहां कि अनियमिततायें होना/कारित करना

बताया है, को दोषी अधिकारी (अधिकारी व अवार्ड स्टाफ दोनों) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और इसे पूर्ण करने का अधिकार था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के अधीन पदस्थापित था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा-

निर्धारित-1.1 इस मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में एजीएम, निर्णय दिनांक 3.8.2004 व साथ ही परिपत्र दिनांक 11.8.2004 के तहत न्यायोचित है। नोट दिनांकित 3.8.2004 जिसे सीएमडी द्वारा यूको बैंक (अनुशासन व अपील) रेगुलेशन,1976 के रेगुलेशन 5(1) के तहत उसे सशक्त करने पर अनुमोदन किया है, वैधानिक प्रकृति का है। रेगुलेशन 5(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मैनेजिंग डाईरेक्टर या एक्जीक्यूटिव डाईरेक्टर या अन्य प्राधिकारी जिसे उनमें से किसी के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत अधिकृत किया गया है, अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकेंगे या अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश दे सकेंगे। इसके अलावा शिडयूल के नोट 2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त विर्निदिष्ट प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग उनके द्वारा अन्य नामित प्राधिकारी जो एक्जीक्यूटिव डाईरेक्टर/सीएमडी द्वारा नाम निर्दिष्ट हो, जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रेंक में समान या उच्च हो, कर सकेंगे। पूववर्ती पदस्थापन वाले अनुशासनिक

अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कार्य देने/ सशक्त करने के पीछे कारण यह है कि नया अनुशासनिक अधिकारी उसके कर्मचारी द्वारा पूववर्ती स्थान पर कारित की गई कथित अनियमितताओं से परिचित नहीं हो सकता, चूंकि सुसंगत रिकार्ड व दस्तावेज आदि पुराने पदस्थापन वाले स्थान पर रखे होते हैं। बैंक द्वारा अपने विवेक से यह महसूस किया कि इस कार्यवाही से वह एक निर्धारित समय सीमा में अनुशासनात्मक प्रकरणों का निस्तारण तेजी से कर सकेगा। यह न्यायालय यह अपेक्षा नहीं करता कि वह बैंक द्वारा अपने विवेक से अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्णय के उपर अपना विवेक थौपे। (पैरा 18)

1.2 परिणामस्वरूप, एजीएम जो कि प्रत्यर्थी के उपर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है जिस दौरान की प्रत्यर्थी ब्रांच ऑफिस में कार्य कर रहा हो तब उसे वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर बैंक के ब्रांच ऑफिस में 15.01.2001 से 23.05.2008 तक कार्यरत रहने के दौरान कारित की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच संचालित करने का अधिकार क्षेत्र है। उच्च न्यायालय द्वारा रेगुलेशन 1976, नोट दिनांकित 3.08.2004, परिपत्र दिनांकित 11.8.2004 जो रेगुलेशन 5(1) के सपठित है, के संबंध में टिप्पण व परिपत्र के प्रयोजन व उद्देश्य, कि दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में तेजी लाई जावे के तथ्य को भुलाते हुए इनका अर्थान्वयन करने में संकीर्ण विचार लिया है और उच्च न्यायालय द्वारा नोट एवं परिपत्र को रद्द करने में त्रुटी की है।(पैरा 19-20)

ईलाहाबाद बैंक बनाम प्रेम नारायण पाण्डे व अन्य 1995(4) सप्ली. एससीआर 481=1995(6) एसीसी 634- पर भरोसा किया।

1.3 प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा एजीएम (अनुशासनिक अधिकारी) द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही एवं अधिरोपित दण्ड को रद्द करने में गलती की है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय अपास्त किया जाता है। (पैरा 21)

केस लॉ रेफेंरेसः

1995(4) सप्ली. एसीआर 481 के पैरा 8 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 7515/2012

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 19.12.2011 के विरूद्ध जो एपीओ नम्बर 342/2009 का है।

विवेक तन्खा, संतोष पॉल, समीर सोढी, आरती सिंह, पूजा सिंह, नवीन कुमार- अपीलार्थी की ओर से।

सोमित्र जी. चौधरी, राजा चटर्जी, रूना भूयान, जी. एस. चटर्जी- प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति के0एस0 राधाकृष्णनन द्वारा जारी किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या नियुक्ति के पूर्ववर्ती स्थान का अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जहां अनियमितताएं हुई/की गई बताई गई हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे व्यक्तियों को बाद में कुछ अन्य प्राधिकरणों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में तैनात किया जाता है, गलती करने वाले अधिकारियों (अधिकारी और अवार्ड कर्मचारी दोनों) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू और पूरी कर सकता था।

3. उच्च न्यायालय ने यूको बैंक (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 5 (1) और 6 (संक्षेप में विनियम 1976) को अनुसूची के साथ पढ़ते हुए यह मत व्यक्त किया कि यह केवल उप महाप्रबंधक (संक्षेप में डीजीएम) के पास विनियम 1976 की अनुसूची के अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति थी, न कि सहायक महाप्रबंधक (संक्षेप में एजीएम), क्योंकि कार्यवाही शुरू होने के समय वह डीजीएम के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र, जांच रिपोर्ट, सजा के अंतिम आदेश और अपीलीय आदेश सहित पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया और बैंक को सभी स्वीकार्य सेवा लाभ जारी करने और प्रतिवादी को स्वीकार्य बकाया का

भुगतान करने का निर्देश दिया। हम इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता से चिंतित हैं

प्रत्यर्थी 11.11.1978 को फील्ड अधिकारी के रूप में अपीलार्थी यूको बैंक (संक्षिप्त में बैंक) की सेवाओं में शामिल हुआ। बाद में उसे 17.7.2001 को एमएमजीएस -III के स्केल में पदोन्नत किया गया। उत्तरदाता ने 15.10.2001 से 23.8.2005 तक बैंक की बांसद्रोणी शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य किया। उत्तरदाता को बाद में अगस्त 2005 में कोलकाता स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय में वरिष्ठ मुख्य अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर पदस्थापित किया गया था। तब यह देखा गया कि जब प्रतिवादी बांसद्रोणी शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, तो उसने ऋण स्वीकृत करने में गंभीर अनियमितताएं की थीं और विभिन्न पक्षों को अपनी शक्तियों से परे और नियंत्रण कार्यालय से अनुमोदन के बिना अंधाधुंध अतिरिक्त आहरण और ओवरड्रॉइंग सुविधाएं प्रदान की थीं। परिणामस्वरूप, मुख्य अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 23.3.2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रत्यर्थी ने 17.4.2006 को उक्त कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब दाखिल किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर से असंतुष्ट होने के कारण, बैंक ने एजीएम (अनुशासनिक अधिकारी) के माध्यम से दिनांक 15.12.2006 के आरोप-पत्र के साथ एक अभियोग पत्र जारी किया, जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ

विनियम 1976 के विनियम 6 के संदर्भ में घरेलू जांच करने के लिए 7 आरोप लगाए गए हैं, जो आसान संदर्भ के लिए अधोलिखित हैंः

(i) कि प्रत्यर्थी ने अपनी प्रत्यायोजित शक्ति से परे और नियंत्रक कार्यालय से पूर्व अनुमोदन के बिना विभिन्न पक्षों की स्वीकृत नकद क्रेडिट सीमाओं पर अंधाधुंध अतिरिक्त निकासी प्रदान की;

(ii) कि अनधिकृत अतिरिक्त निकासी प्रदान करते समय, प्रत्यर्थी ने उक्त तथ्य को नियंत्रण कार्यालय से छिपा दिया ;

(iii) कि प्रत्यर्थी पक्षकारों को क्रेडिट अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करने में विफल रहा और उन्हें बैंक के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए अनधिकृत सुविधा देने में लिप्त रहा;

(iv) कि उस क्रेडिट सुविधा के वितरण से पहले, प्रत्यर्थी ने विभिन्न नकद साख उधारकर्ताओं से संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लेकर उधारकर्ताओं के पक्ष में क्रेडिट सीमा बढाने के बजाय स्वीकृत शर्तो का उल्लंघन किया ;

(v) कि प्रत्यर्थी ने विभिन्न मामलों में वैध शर्त के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाए और बैंक के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित अग्रिम खातों की प्रभावी ढंग से निगरानी/नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने में विफल रहा ;

(vi) कि प्रत्यर्थी ने मैसर्स जे.सी टेडर्स के मामले में स्वीकृत सीमाओं का घोर उल्लंघन कर स्वीकृत बढ़ी हुई सीमा के विरूद्ध संवितरण के लिए

निर्धारित राशि से अधिक उधारकर्ता पार्टी को करीब 02 करोड रूपये अनुचित जल्दबाजी में वितरित (रिलीज) किये।

(vii) कि प्रत्यर्थी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके अनियमित और अनधिकृत तरीके से विभिन्न पक्षों को समायोजित(एकमोडेट) करने के लिए झुकाव दिखाया और जानबूझकर बैंक के हित के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की और बैंक को लगभग 598.07 लाख रुपये के वित्तीय नुकसान के लिए उजागर किया क्योंकि अधिकांश खाते संभावित एनपीए/एनपीए में बदल गए।

5. प्रत्यर्थी ने 17.1.2007 को उक्त आरोप-पत्र में अपना उत्तर दाखिल किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में एजीएम द्वारा विचार किया गया और उन्होंने इसे असंतोषजनक पाया और प्रत्यर्थी के खिलाफ विभागीय जांच करने का निर्णय लिया और प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच के लिए बैंक के सेवानिवृत्त कार्यकारी श्री बिनोद बिहारी हाजरा को एक जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया। विस्तृत जांच की गई और अंततः एजीएम को दिनांक 12.3.2008 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

6. एजीएम ने आरोप संख्या चार सहित आरोपों के संबंध में पूछताछ अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की जिस आरोप नं0-4, को एजीएम ने पूरी तरह से साबित पाया। प्रत्यर्थी को जांच रिपोर्ट की एक

प्रति दी गई, जिस पर उसने एक विस्तृत जवाब दाखिल किया। एजीएम ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के बाद, विनियम 1976 के विनियम 4 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19.4.2008 को अंतिम आदेश पारित किया और सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया। एजीएम के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् डीजीएम, कार्मिक सेवा, विभाग, मुख्य कार्यालय के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 22.7.2008 के अपने आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

7. अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका नं. 1546/2008 कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 19.11.2009 के अपने निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था। प्रत्यर्थी द्वारा एपीओ नम्बर 342/2009 के माध्यम से डिवीजन बेंच में अपील की गई थी और पीठ ने दिनांक 19.12.2011 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील मंजूर की, कि एजीएम को अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। डिवीजन बेंच ने सभी पारिणामिक लाभों के साथ प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने का भी निर्देश दिया, जिसके खिलाफ बैंक द्वारा इस अपील को प्रस्तुत किया है।

8. अपीलार्थी-बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा ने तर्क दिये हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है कि एजीएम द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और सभी पारिणामी लाभों के साथ प्रतिवादी की बहाली का आदेश दिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने परिपत्र दिनांक 11.8.2004 या टिप्पण दिनांक 3.8.2004 की वैधता को चुनौती नहीं दी थी और उच्च न्यायालय ने उन उपबंधों की गलत व्याख्या पर यह मत व्यक्त किया कि एजीएम को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की कोई अधिकारिता नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इलाहाबाद बैंक बनाम प्रेम नारायण पांडे और अन्य (1995) 6 एस.सी.सी. 634 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

9. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सौमित्र जी. चौधरी ने कहा कि एजीएम को प्रत्यर्थी पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही निर्णय दिया है कि आरोप पत्र से लेकर प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी तक की पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। विद्वान अधिवक्ता ने विनियम 1976 के विनियम 5 (1) और 6 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अकेले डीजीएम प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता था। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने

प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पूरी कार्यवाही को सही ढंग से रद्द किया है और सभी पारिणामिक लाभों के साथ प्रतिवादी की बहाली का आदेश दिया है।

10. हम, इस मामले में, केवल इस प्रश्न से चिंतित हैं कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही एजीएम द्वारा कानूनी रूप से शुरू की गई थी और क्या उसे प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि अनियमितताएं तब की गई हैं जब वह बैंक की बांसद्रोणी शाखा में काम कर रहा था।

11. विनियम 1976 को यूको बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (संक्षिप्त में 'अधिनियम 1970') की धारा 19 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से तैयार किया गया था। विनियम 1976 का विनियम 3 (जी) इस प्रकार हैः

अनुशासनिक प्राधिकारी' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है जो किसी अधिकारी कर्मचारी पर विनियम 4 में विनिर्दिष्ट दंडों में से कोई भी अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

12. विनियम 4 छोटे और बड़े दंडों से संबंधित है। विनियम 5 अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और दंड लगाने के लिए प्राधिकारी को

संदर्भित करता है। विनियम 5 को आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्दत गया हैः

''5. अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और दंड अधिरोपित करने का प्राधिकारः

(1) प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनमें से किसी के द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण, बैंक के एक अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को स्थापित या निर्देशित कर सकता है।

(2) अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

(3) अनुशासनात्मक प्राधिकारी या उससे बड़ा कोई भी प्राधिकारी, किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर विनियम 4 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू कर सकता है।

(जोर दिया)

विनियम 6 (1) और (2) प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित हैं और वे इस प्रकार हैंः

6. प्रमुख दंड अधिरोपित करने की प्रक्रियाः

(1) विनियम 4 के खंड (एफ) (जी) (एच) (आई) और (जे) में निर्दिष्ट किसी भी प्रमुख दंड को लागू करने वाला कोई आदेश इस विनियम के अनुसार जांच के बाद के अलावा नहीं किया जाएगा।

(2) जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण की राय है कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार हैं, तो वह स्वयं इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए किसी अन्य लोक सेवक (जिसे इसके बाद जांच प्राधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) की जांच कर सकता है या नियुक्त कर सकता है।

13. विनियम 18 (अपरिवर्तित) समीक्षा से संबंधित है और यह इस प्रकार हैः

18. समीक्षा (पुनराविलोकन):

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, समीक्षा प्राधिकारी अंतिम आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर मामले का अभिलेख मंगवा सकता है और मामले की समीक्षा करने के बाद उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

बशर्ते कि-

(i) परन्तु यदि कोई वर्धित जुर्माना, जिसे पुनरीक्षण प्राधिकारी अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है, विनियम 4 के खंड (च) (छ) (प)

या (ञ) में विनिर्दिष्ट कोई प्रमुख जुर्माना है और विनियम 6 के अधीन

यथा उपबंधित जांच मामले में पहले ही नहीं की गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकरण यह निदेश देगा कि

ऐसी जांच विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् जांच के अभिलेख पर विचार किया जाए और ऐसे आदेश पारित किए जाएं जो वह उचित समझे;

(ii) यदि पुनरीक्षण प्राधिकरण दंड को बढ़ाने का निर्णय लेता है, लेकिन विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो पुनरीक्षण प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देगा कि उस पर वर्धित दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करेगा।

14. यूको बैंक के निदेशक मंडल ने अधिनियम 1970 की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ विनियम 18 और विनियम 1976 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी। सीएचओ/पीओएस/11/2002 दिनांक 4.4.2002 को जारी किया गया था और बैंक द्वारा सभी शाखाओं/कार्यालयों को भेजा गया था, उसी का परिचालन भाग इस प्रकार हैः

'' यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में।

(a) रेगुलेशन 18 के लिए निम्न रेगुलेशन प्रतिस्थापित किया जायेगा:

''18. समीक्षा (पुनराविलोकन):

इन विनियमों में कुछ भी विहित होने के बावजूद, समीक्षा प्राधिकरण अंतिम आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अन्यथा उक्त आदेश की समीक्षा कर सकता है, जब कोई नई सामग्री या साक्ष्य जो प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या समीक्षा के तहत आदेश पारित करने के समय उपलब्ध नहीं था और जो मामले की प्रकृति को बदलने का प्रभाव था, उसके संज्ञान में आया है या लाया गया है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

××× ×××

××× ××× ×××

विधमान सूचि, की निम्न सूचि प्रतिस्थापित की जायेगी:

अ	पद की श्रेणी/स्केल	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी

	×××	×××	×××	×××
ब)	एएमजी/स्केल III के अधिकारी व ग्रेड बी के अधिकारी जो ब्रांचो/रीजनल ऑफिस के क्षेत्राधिकार के कार्यालय जो रीजनल मैनेजर वरिष्ठ प्रबंधक ग्रेड/स्केल IV /ग्रेड ए जिसमें प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी भी सम्मिलित हैं	सहायक महाप्रबंधक जो संबंधित महाप्रबंधक (ऑपरेशन्स) के कार्यालय से जुडे हुए है	महाप्रबंधक	ई.डी.
	×××	×××	×××	×××
स	हैड ऑफिस या अन्य ऑफिस में पदस्थापित/हैड ऑफिस के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन	उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)	जी.एम. (पर्स)	ई.डी.

	आने वाले संस्थापन जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज व प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी एवं निरीक्षण अधिकारी			
	×××	×××	×××	×××

नोट-1. जब उपरोक्त प्राधिकारियों का पद बिना किसी कार्यकलापीय/कार्यवाहक प्रबंधन अधिकृत किये बिना रिक्त रहता है तो उनकी पॉवर अगले उच्च अधिकारी द्वारा उपयोग की जायेंगी।

2. उपरोक्त विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी की भी शक्ति (पॉवर) का उपयोग किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे कार्यकारी निदेशक/चेयरमैन व प्रबंध निदेशक जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से रेन्क में समान या उच्च हैं द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जावे।

उपरोक्त रेग्यूलेशन व अनुसूची में संशोधन 09.02.2002 से प्रभाव में आये।

15. बैंक की शीर्ष प्रबंधन समिति (संक्षेप में 'टीएमसी) ने 26.6.2004 को कलकत्ता में बैंक के मुख्य कार्यालय में अपनी 11 वीं बैठक बुलाई और उस बैठक में अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान की आवश्यकता पर चर्चा की गई, हालांकि इसे कार्यवाही में छोटा नहीं किया गया था, बैंक की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं। टी.एम.सी. की 26.6.2004 को आयोजित बैठक के बाद, बैंक के महाप्रबंधक (कार्मिक) द्वारा दिनांक 3.8.2004 को एक अंतर विभागीय नोट अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (संक्षेप में 'सी.एम.डी.') के समक्ष रखा गया था, जिसमें अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए, लिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया था जिसका प्रभावशील भाग इस प्रकार है:

''अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक को नोट

विषय: अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों का त्वरित निपटान-दिनांक 26.06.2004 को टीएमसी की बैठक में लिया गया निर्णय

अनुशासनात्मक प्राधिकारी की मौजूदा अनुसूची के संदर्भ में, किसी भी कर्मचारी (अधिकारी और पुरस्कृत कर्मचारी दोनों) के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, अनुशासनात्मक प्राधिकारी बदल जाता है। मुख्य कार्यालय के परिपत्र सं.

सी.एच.ओ./पी.एम.जी./4/2002 दिनांक 16.1.2002 को आरोपित कर्मचारी (अधिकारी और पुरस्कृत कर्मचारी दोनों) के स्थानांतरण के साथ उस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी समान रहेगा और उक्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी आर.डी.ए. मामलों को पूरा करेगा, इस तथ्य के बावजूद कि आरोपित कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है।

यह आदेश 1.2.2002 से प्रभावी किया गया है। उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में, हालांकि, यदि कर्मचारी के स्थानांतरण के बाद अनियमितता का पता चलता है, तो पोस्टिंग के नए स्थान पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई शुरू करने के मामले में देरी होती है, जिन्होंने अपनी पोस्टिंग के पहले के स्थान पर अनियमितताएं की थीं। इसलिए, टीएमसी ने 26.6.2004 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि अब से पोस्टिंग के पूर्ववर्ती स्थान का अनुशासनात्मक प्राधिकारी जहां अनियमितताएं हुईं, अनियमितताओं की प्रकृति और

सीमा को ध्यान में रखते हुए दोषी अधिकारी (अधिकारी और पुरस्कृत कर्मचारी दोनों) के खिलाफ आरडीए को स्थापित और पूरा करेगा क्योंकि प्रासंगिक रिकॉर्ड उनके पास आसानी से उपलब्ध हैं।

तदनुसार, कार्मिक विभाग, मुख्य कार्यालय ने एक परिपत्र जारी करने का प्रस्ताव किया है, जिसे टीएमसी के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में 16.8.2004 से प्रभावी बनाया जाएगा, जिसकी एक प्रति अवलोकन और अनुमोदन के लिए संलग्न है।''

16. बैंक के सीएमडी द्वारा 10.8.2004 को विनियम 1976 के विनियम 5 (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोट का अवलोकन और अनुमोदन किया गया था। अगले दिन, अर्थात 11.8.2004, को बैंक के महाप्रबंधक (कार्मिक) ने एक परिपत्र सं0 सी.एच.ओ./पी.एम.जी./22/2004 अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए सभी शाखाओं को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार निर्देश देते हुएः

''चूंकि नया अनुशासनिक अधिकारी स्वाभाविक रूप से कर्मचारी द्वारा पूर्व के पदस्थापन स्थान पर की गई अनियमितताओं की प्रकृति और इसकी सीमा से अवगत

नहीं है एवं सुसंगत रिकार्ड/दस्तावेज आदि पोस्टिंग के पुराने स्थान पर रखा जाता है, अतः बैंक के परिपत्र सं0 सी. एच.ओ./पी.एम.जी. 4/2002 दिनांक 16.1.2002 से यह निर्णय लिया गया है कि आरोपित कर्मचारी (अधिकारी/पुरस्कृत कर्मचारी दोनों) के स्थानांतरण के साथ उस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी समान रहेगा और उक्त डीए ही आरडीए प्रकरण को इस तथ्य के बावजूद पूरा करेगा कि आरोपित कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका है। परिपत्र का संचालन 1.2.2002 से प्रभावी किया गया था। हालांकि इस परिपत्र का प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया गया था, जिनके मामलों में बाद में अनियमितताओं का पता चला था और ऐसी अनियमितताओं के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया था, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित समय पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, अक्सर देरी हो जाती है क्योंकि न तो नया अनुशासनात्मक प्राधिकारी और न ही पुराना कार्यालय/शाखा जहां से कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है, आरडीए की शुरुआत और उसके शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए उचित देखभाल करता है।

इस मामले पर दिनांक 26.6.2004 की बैठक में शीर्ष प्रबंधन समिति में विस्तार से चर्चा की गई। आरडीए की शुरुआत और उसके निष्कर्ष में देरी को रोकने के लिए, कर्मचारी के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप अनुशासनिक अधिकारी के बदलाव के कारण, जिसके खिलाफ पोस्टिंग के पहले स्थान पर उसकी अनियमित कार्रवाई के लिए खामियां जिम्मेदार हैं, समिति ने निर्णय लिया कि अब से, बैंक के परिपत्र सं CHO/PAS/2/2000 दिनांक 23.6.2000 से अवार्ड कर्मचारियों के लिए और CHO/POS/11/2002 दिनांक 4.4.2002 से अधिकारियों के लिए, पोस्टिंग के पूर्ववर्ती स्थान का अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जहां अनियमितताएं हुईं/की गईं, गलती करने वाले अधिकारियों (अधिकारी और अवार्ड कर्मचारी दोनों) के खिलाफ आरडीए को संस्थित और पूरा करेगा। मामले के आधार पर अनियमितताओं की प्रकृति और विस्तार, इसके बावजूद कि ऐसे कर्मचारी वर्तमान में कुछ अन्य प्राधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारिता के तहत तैनात हैं। इसी तरह, गलती करने वाले अधिकारी (अधिकारी और अवार्ड कर्मचारी दोनों) की नियुक्ति के पहले के स्थान के अपीलीय अधिकारी ऐसे अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों

के खिलाफ पसंद की गई अपीलों के निपटान के लिए कदम उठाएंगे। यह निर्णय इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि पहले का अनुशासनात्मक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण ऐसे मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों से बेहतर तरीके से अवगत है और संबंधित दस्तावेज/रिकॉर्ड पोस्टिंग के पहले के स्थान पर आसानी से उपलब्ध हैं। हम महसूस करते हैं कि उपरोक्त संशोधित दिशा-निर्देश डीपीसी द्वारा निर्देशित गैर-सतर्कता और सतर्कता मामलों के लिए क्रमशः चार और छह महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर आरडीए मामलों के निपटान में तेजी लाएंगे।

अनुशासनिक अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे सख्त अनुपालन के लिए इन परिवर्तनों को नोट करें, जो 16.8.2004 से प्रभाव में आयेंगे। मौजूदा मामले, हालांकि, जहां आरोप पत्र/लाछंन पत्र या खामियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं वह इस परिपत्र के संचालन से प्रभावित नहीं होंगे।

इस परिपत्र की एक प्रति सभी संबंधित की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(बल दिया)

17. हमने पहले ही संकेत दिया है कि प्रत्यर्थी 15.10.2001 से 23.8.2005 तक बैंक की बांसद्रोणी शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था और अनियमितताएं हुईं जब वह बैंक की उस शाखा में काम कर रहा था और प्रत्यर्थी को बाद में अगस्त 2005 में मुख्य कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। जब वह मुख्य कार्यालय में काम कर रहा था, तब बैंक को उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में पता चला, जब वह उपर्युक्त अवधि के दौरान बैंक के शाखा कार्यालय में काम कर रहा था। नतीजन, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और उपरोक्त परिपत्र दिनांक 11.8.2004 के बाद एजीएम द्वारा दिनांक 15.12.2006 को एक आरोप पत्र जारी किया गया, जिसने एजीएम को शक्तियां प्रदान कीं क्योंकि अनियमितताएं शाखा कार्यालय में काम करते समय उत्पन्न हुई या कारित की गई थीं।

18. इस मामले में, हालांकि, एजीएम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना न्यायोचित है जो 3.8.2004 के निर्णय के साथ-साथ 11.8.2004 के परिपत्र के अनुसार है। 3.8.2004 का नोट, जिसे विनियम 5 (1) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया गया था, वैधानिक प्रकृति का है। विनियम 5 विशेष रूप से प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक या सामान्य या विशेष

आदेश द्वारा उनमें से किसी एक द्वारा सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी को अधिकार देता है, कि अनुशासनात्मक कार्यवाही स्थापित के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को स्थापित या निर्देशित कर सकता है। इसके अलावा, अनुसूची के नोट 2 में यह भी निर्धारित किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी/सीएमडी द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जो रैंक में निर्दिष्ट प्राधिकारी से समान या उच्च है। पोस्टिंग के पूर्ववर्ती स्थान के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का कार्य सौंपने का कारण यह है कि नया अनुशासनात्मक प्राधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने पूर्ववर्ती पोस्टिंग स्थान पर कथित रूप से की गई अनियमितताओं की प्रकृति और इसकी सीमा से अवगत नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रासंगिक रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि को पोस्टिंग के पुराने स्थान पर रखा जाता है। बैंक ने अपने विवेक में महसूस किया कि इस तरह के कार्यवाही से निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक मामलों के निपटान में तेजी आएगी। इस न्यायालय से अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए ऐसा निर्णय लेने में बैंक के विवेक के उपर बैठकर निर्णय लेने की उम्मीद नहीं है।

19. परिणामस्वरूप एजीएम, जिसका शाखा कार्यालय में कार्य करते समय प्रत्यर्थी पर अनुशासनात्मक नियंत्रण था, को प्रत्यर्थी द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच करने का अधिकार क्षेत्र मिला है, जब वह 15.11.2001 से 23.8.2005 तक बैंक के शाखा कार्यालय में वरिष्ठ

प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था। हम यह इंगित कर सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने इलाहाबाद बैंक (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 3,4,5 (1) और (2) 6 (3) 21 (ii) और 7 (3) के उपबंधों की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विवाद के बारे में बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और सेवा समाप्ति को अत्यधिक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपना कर अपास्त कर दिया है जिसे विनियमों की योजना के तहत कायम नहीं रखा जा सकता है।

20. हमारा यह मत है कि इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने विनियम 1976, नोट दिनांकित 3.8.2004, परिपत्र दिनांकित 11.08.2004 की रेगुलेशन 5(1) के सपठित व्याख्या करते हुए एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में मामलों के शीघ्र और त्वरित निपटान के अपने प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने नोट के साथ-साथ परिपत्र को रद्द करने में त्रुटि की है।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एजीएम (अनुशासनिक अधिकारी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और अधिरोपित की गई सजा को रद्द करने में त्रुटि की है।

नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय अपास्त किया जाता है।

आर.पी.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बृजेश कुमार शर्मा (आर.जे.00386) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।